

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठारीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेजुओं की दायी

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. दीपाराम पुत्र लक्ष्मणराम 2. मूलाराम पुत्र पूर्णाराम 3. हनुमानराम पुत्र पूर्णाराम 4. जोगाराम पुत्र पूर्णाराम 5. वाली पत्नि पूर्णाराम जातियान जाट निवासीयान हरियाला मगरा, विशाला आगोर, तहसील एवं जिला बाड़मेर।		1. कालाराम पुत्र नारणाराम 2. परमेश्वरी पत्नि नारणाराम 3. हजारीराम पुत्र मगनाराम 4. शेराराम पुत्र दमाराम 5. द्युतराराम पुत्र दमाराम 6. कंवराराम पुत्र रूपाराम 7. लाली पत्नि रूपाराम 8. किशनाराम पुत्र तगाराम 9. खेताराम पुत्र बगताराम 10. हजिया पत्नि बगताराम 11. किशनाराम पुत्र भगवानाराम 12. बाबूराम पुत्र भगवानाराम 13. दमाराम पुत्र भगवानाराम 14. चुनी पत्नि भगवानाराम 15. खेताराम पुत्र बगताराम जातियान जाट निवासीयान हरियाला मगरा, विशाला आगौर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत् राजस्व आवेदन संख्या-83/2021 दिनांक-04.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा हरियाला मगरा हल्का विशाला आगौर तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 699/172 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 774/172 रकबा 60.18 बीघा, खसरा नम्बर 775/172 रकबा 60.18 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नहो करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर, पुष्कारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 04/12/2021

क्रमांक/रीडर/2021/6515-6518

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करे।
2. पटवारी विशाला आगौर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी दीपाराम पुत्र लक्ष्मणराम वगैरा जाति जाट निवासी-हरियाला मगरा, विशाला आगौर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कालाराम पुत्र नारणाराम वगैरा जाति जाट निवासी हरियाला मगरा, विशाला आगौर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर